

### लखनऊ नगर निगम

ग्राम कार्यकारिणी समिति जी रामान्दा बैठक विनांक ३१.०७.२०१४ को पूर्वाह्न ११:००  
बजे बाबू राज कुमार शीघ्रस्तव कथा में रापन हुई, परी कार्यवाची :-

#### उपस्थिति :-

१. श्रीमती रामेश्वरा भाटिया	ग्राम अध्यक्ष/महापौर
२. श्री अरुण कुमार तिवारी	ग्राम उपाध्यक्ष
३. श्री गिरीश कुमार मिश्रा	ग्राम सदस्य
४. श्री मोहन रामीर	ग्राम सदस्य
५. श्री राज कुमार सिंह	ग्राम सदस्य
६. श्री राजेश कुमार मालवीया	ग्राम सदस्य
७. श्री राजेश सिंह	ग्राम सदस्य
८. श्री सुशील कुमार तिवारी	ग्राम सदस्य
९. श्री विजय कुमार गुप्ता	ग्राम सदस्य
१०. श्री विमल तिवारी	ग्राम सदस्य

#### अन्य उपस्थिति :-

1. नगर आयुक्त
2. अपर नगर आयुक्त(एग्रा)
3. अपर नगर आयुक्त(ए०)
4. मुख्य अभियन्ता
5. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
6. मुख्य नगर लेखा परीक्षक
7. मुख्य कर निर्धारण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (समिति)
8. नगर स्वास्थ्य अधिकारी/पर्यावरण अभियन्ता
9. समरत जोनल अधिकारी
10. तहसीलदार
11. समरत नगर अभियन्ता
12. उद्यान अधीक्षक(श्री चौरसिया/श्री गौतम)
13. उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी
14. मुख्य अभियन्ता (वि०/य००)
15. महाप्रबन्धक, जलकल
16. सचिव, जलकल
17. कार्यालय अधीक्षक(अधिकारी)

अध्यक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया और बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि मा० अध्यक्ष जी आपने अधिनियम की मंशा के अनुसार आज एक माह के अन्दर बैठक बुलाई, आपको बहुत—बहुत बधाई। इसी तरह से नगर निगम संचिधान का सम्मान करते हुए प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाए और प्रत्येक दो माह में सदन की बैठक आहूत की जाए। आज मा० सदन की बैठक की तिथि की घोषणा कर दी जाए, ताकि हमारे जो मा० पार्षदगण हैं, वह बैठक की तिथि से अवगत हो जाएं।

अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि "मा० कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को (शनिवार को अवकाश होने की स्थिति में सोमवार को) आहूत की जाएगी", इसी निर्णय के तहत आज बैठक बुलायी गयी है, जबकि इस बीच मा० प्रधानमंत्री जी के आगमन का कार्यक्रम भी था। लोक सभा का मानसून सत्र चल रहा है, इसलिए सदन की बैठक अभी नहीं बुलाई जा सकी है। आज सदन की बैठक की तिथि तय कर ली जाएगी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि आज का एजेण्डा मात्र सूचना है, एजेण्डा नहीं है। इस पर निर्णय कैसे लिया जाएगा? एजेण्डे के साथ विभागीय आख्याएं भी नहीं हैं।

अध्यक्ष ने कहा कि आपकी जानकारी में सब विषय हैं, आज विभागीय आख्याएं भी आ गयी हैं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि आख्याएं अभी मिली हैं, हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, चर्चा कैसे करेंगे?

अध्यक्ष ने पुनः कहा कि सब विषय आपकी जानकारी में हैं, विभागीय आख्याएं पढ़ लीजिए।

नगर आयुक्त ने कहा कि एजेण्डे के अनुसार मद संख्या-1 पूर्व सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि कार्यकारिणी समिति की बैठक हो या सदन की बैठक हो। बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जो भी एजेण्डा रखा जाएगा, उस पर निर्णय लेने का अधिकार भी अध्यक्ष का होता है। जब तक अध्यक्ष न कहें, नगर आयुक्त अपना वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। पूरा सदन अध्यक्ष के द्वारा गाइड होता है।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि अध्यक्ष के निर्देशों में उपाध्यक्ष बैठक का संचालन कर सकते हैं।

अध्यक्ष ने कहा कि बैठक का संचालन मैं ही कर रही हूँ। एजेण्डे के संख्या-1 में पूर्व सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जानी है।

मद संख्या (1) :- पूर्व सम्पन्न माह कार्यवाही रिपोर्ट की बैठक दिनांक 27.06.2018 की कार्यवाही की पुष्टि ।

(परिशिष्ट-1)

उपाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के पेज नं०-३ पर देखें— “नगर आयुक्त ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देशित किया कि अगर री०८० काम नहीं करते हैं तो उनको हटाएं। बैठक में जो बात कही जाए, वह पूरी ढोनी चाहिए। मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी सारे अरोद्दरा और लाइब्रिली को जोड़ते हुए वर्ष 2015-16 की आडिट रिपोर्ट आगली बैठक में प्रस्तुत करें। तदक्रम में “मा० अध्यक्ष जी ने व्यवरथा दी कि वित्तीय वर्ष 2015-16 य 2016-17 की आडिट रिपोर्ट (संलग्नक सहित) मा० सदस्यों को उपलब्ध कराते हुए आगली बैठक में प्रस्तुत की जाए”।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्ष 2015-16 की बैलेंस शीट मा० सदस्यों को उपलब्ध करायी जा चुकी है। वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट बनायी जा रही है, आडिट करायी जा रही है।

उपाध्यक्ष ने कहा कि आडिट आपत्तियां दूर नहीं करायी गयी हैं। आडिट आपत्तियां दूर करायी जाएं।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि टोटल असेट्स के लिए कार्यवाही शुरू हो गयी है। 2549 असेट्स हैं।

नगर आयुक्त ने कहा कि प्रापर समीक्षा हो चुकी है। वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट बनायी जा रही है। सी०८० ने कमिटमेन्ट किया है कि वर्ष 2016-17 की रिपोर्ट 15 अगस्त तक तैयार हो जाएगी। वर्ष 2017-18 की आडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 31 अगस्त, 2018 तक समय लिया गया।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि आडिट रिपोर्ट हिन्दी में दी जाए।

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि आडिट रिपोर्ट सेबी के आधार पर तैयार की जाती है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि आडिटर से कहा जाए कि रिपोर्ट हिन्दी में दें।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि हम लोग हिन्दी मीडियम से पढ़े हैं। अंग्रेजी में तैयार रिपोर्ट को ट्रांसलेट कराकर प्रस्तुत करें।

नगर आयुक्त ने कहा कि आडिट रिपोर्ट ट्रांसलेट करायी जाएगी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि अगर रिपोर्ट नियमानुसार नहीं है तो क्या कार्यवाही होगी? आडिटर ने अगर कहा कि यह विषय पूरा नहीं है तो क्या कार्यवाही होगी? आडिट्स रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या-2 पर देखें—

MAJOR OBSERVATIONS REPORTED ON AUDIT OF ACCOUNTS FOR THE YEAR 2015-16

- Statutory liabilities of PF, Income Tax, Service Tax and VAT have been timely deposited on the due dates. Proper details to ascertain the quantum of such liabilities could not be provided to us.

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पी0एफ0, आयकर आदि समय से नहीं जमा किया गया, यह किसकी जिम्मेदारी है? अगर आडिट रिपोर्ट में यह सिद्ध होता है कि नियम से कार्य नहीं हुआ तो एफ0आई0आर0 तक दर्ज करायी जा सकती है।

नगर आयुक्त ने कहा कि जो आजोवशन हैं वह रिमूव कराये जाएंगे।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2015-16 की आडिट आपत्तियों को रिमूव कराया जाए। अब दूसरा विन्दु देखिए—

- Property Tax is the major source of Revenue for Municipal corporation. Property wise dues should not be made available. Like previous Year Nagar Nigam has made an adhoc Provision of 60% of Dues as Irrecoverable, which in our opinion is highly irregular.

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पूरी तरह से अनियमित है, यह कहा जा रहा है। आडिट रिपोर्ट सही—सही प्रस्तुत हुई है। आगे अन्य विन्दु देखिए—

- Some Bank Accounts are showing negative balances due to improper reconciliation. Besides rectification of old outstanding entries in BRS prepared have not been passed in Books of Accounts.
- Proper Party wise details of liabilities outstanding of Contractors and others are not available.
- Records showing actual Land other Immovable Properties Possessed by nagar Nigam are not available.
- Fixed Assets Register has not been maintained.
- Grant received from State Government in previous year is still unutilized due to wrong booking under expenditure.

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि आपके पास कोई रजिस्टर नहीं है। आपके एक्सपेण्डीचर रखने का तरीका 100 प्रतिशत गलत है। झूठ का पुलिन्दा है। श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि मंशा गलत नहीं है, कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि लैण्ड, रोड आदि की स्थिति क्या है, सब गलत है। इसीलिए कभी आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी। श्री विनोद कृष्ण सिंघल जी हमेशा कहते रहे कि आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, इसके लिए सराहना की जाती है। जो विषय है, आडिट आपत्तियां हैं, उनको दूर करना होगा।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि दिसम्बर, 2017 तक की आडिट रिपोर्ट है। इन सात महीनों में आडिट आपत्तियां दूर की जा सकती थीं।

उपाध्यक्ष ने कहा कि अधिग्रियम के अनुराग प्रतिमाह आण्डिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2015-16 की बैलेंस शीट राखी है या गवात है, बताया जाए। साड़ी माना जाए या गलत माना जाए?

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि आण्डिट आपत्तियां दूर करते हुए आण्डिटस रिपोर्ट अगली बैठक में राजी तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने पुनः अनुरोध किया कि आण्डिट रिपोर्ट हिन्दी में प्रस्तुत की जाय।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि रात गाह में रटडी करके आपत्तियां रिमूव करके प्रस्तुत करनी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी से पूछा कि डाटा प्रतिदिन फीड हो जाती है?

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने कहा कि प्रतिदिन फीडिंग नहीं हो पाती है क्यों कि सी0ए0 इस भवन में ग्राउण्ड तल पर बैठते हैं, लेखा विभाग प्रथम तल पर है।

उपाध्यक्ष ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी से कहा कि दोनों सी0ए0 को अपने पास बैठाइये। प्रतिदिन डाटा फीड कराइए।

उपाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व बैठक की कार्यवाही के पृष्ठ संख्या—7 पर देखें—“मा० अध्यक्ष जी ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि तीसरी रु0 21.00 लाख की किस्त को रु0 11.00 लाख वार्ड विकास और रु0 10.00 लाख आदर्श मोहल्ला हेतु (मा० सदस्य द्वारा घोषित करने पर ही देय) कर लिया जाय।” इस पैराग्राफ में ‘चौथी किश्त रु0 20.00 लाख’ जोड़ लिया जाए।

अध्यक्ष द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पहले नगर निगम में व्यवस्था थी कि पत्रावलियां रजिस्टर पर चढ़ाई जाती थीं, फिर ठेकेदार प्रत्येक स्टेप पर जाकर पत्रावलियां कराता था। इससे कहीं पत्रावली नहीं रुकती थी। वर्तमान में व्यवस्था है कि पत्रावलियां रजिस्टर पर चढ़कर डाक द्वारा प्रत्येक स्तर पर जाती हैं, इससे समय बहुत लगता है और कोई रिजल्ट पता नहीं चलता है। 75 प्रतिशत काम वार्डों में आज तक शुरू ही नहीं हुए हैं। काम पूरा कराने की जिम्मेदारी किसकी है?

अध्यक्ष ने कहा कि वार्डों में विकास कार्य कराने की जिम्मेदारी अभियन्त्रण विभाग की है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि कोई भी जे0ई0 क्या मा० पार्षदों के पास गया, सम्पर्क किया कि रु0 15.00 लाख का प्रस्ताव कौन—सा है, रु0 27.00 लाख का प्रस्ताव कौन—सा है, हमको दीजिए। मा० पार्षदों के पास कोई जे0ई0, ए0ई0 नहीं गया। न कोई किसी पार्षद से पूछता है, न कोई सङ्क देखता है। रु0 15.00 लाख से

होने वाले विकास कार्यों की पत्रावलियां कहाँ हैं, किसी पार्षद को नहीं मालूम हैं। जो पार्षद एविटर है, मेहनत करके काम करा लेते हैं। जो पार्षद विभाग नहीं पहुँच पाते हैं, गहिलाएं नहीं पहुँच पाती हैं, उनके काम नहीं होते हैं। कितने जे०ई०, ए०ई० पार्षद के पास गये?

मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि सभी पार्षदों को पत्र भेजे गये थे, प्रस्ताव देने के लिए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि क्या पार्षद स्टीमेट बनाएंगे। यह जिम्मेदारी विभाग की है। प्रत्येक जे०ई० की जिम्मेदारी है कि वार्ड विकास प्राथमिकता कार्यों को वार्ड में जाकर स्टीमेट बनाएं, पार्षद से मिलें। जहाँ काम नहीं होगा, जे०ई० की जिम्मेदारी तथ की जाए और कार्यवाही की जाए।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि पत्रावलियां जोनों में कम्प्यूटर पर चढ़ाई जाएं। इ आफिस के माध्यम से पत्रावलियां चलें, इससे समय की बहुत बचत होगी। काम जल्दी होंगे।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि मैंने 20-25 दिन पहले एक सड़क नपवाई थी। जब मैंने नगर अभियन्ता से प्रगति पूछी तो उन्होंने बताया कि पत्रावली कमिट्टी में शील लगाने के लिए लेखा विभाग में गयी है। पता नहीं वास्तव में पत्रावली कहाँ है? पार्षदों के प्रस्ताव देने के बाद एक सप्ताह में पत्रावली नगर आयुक्त के पास पहुँच जानी चाहिए। 10 दिन में टेण्डर हो जाना चाहिए। जे०ई०, ए०ई०, नगर अभियन्ता सब पत्रावलियों को घुमा रहे हैं, आपत्तियां लगा रहे हैं।

नगर आयुक्त ने कहा कि मा० पार्षदों द्वारा प्रस्ताव देने के बाद 10 दिन के अन्दर आगणन बनाकर पत्रावली मेरे समक्ष अभियन्त्रण विभाग प्रस्तुत करें। पार्षदगण प्रस्ताव पर तिथि अवश्य लिख दें और प्रस्ताव देकर रिसीविंग ले लें। इंजीनियर पार्षद के साथ प्रस्तावित सड़क का निरीक्षण करें। अब अभियन्ता प्रतिदिन सुबह या शाम जब भी समय मिले मा० पार्षदों से मिल कर पूछें कि कहीं चेम्बर, चैनल, नाली, पुलिया आदि टूटी तो नहीं है। शिकायत मिलने पर तत्काल कार्यवाही करें। मेरे पास दो-दो महीने बाद पत्रावलियां आती हैं। अब व्यवस्था की जा रही है कि मेरे समक्ष 10 दिन के अन्दर पत्रावली प्रस्तुत हो। टेण्डर कमेटी निश्चित समय में कार्यवाही करेगी, जिससे कि तदसमय सबके हस्ताक्षर हो जाएं, अनावश्यक विलम्ब न हो। टेण्डर कमेटी फाइनल कर दे। एक माह में काम की शुरुआत हो जाए।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने पुनः कहा कि ई-आफिस कान्सेप्ट पर काम होना चाहिए। गृह कर के बारे में पूर्व में भी कहा गया था कि ई-आफिस पर विचार किया जाए।

नगर आयुक्त ने कहा कि ई-आफिस के सम्बन्ध में लगभग काम पूरा हो गया है। शासन के निर्देश भी हैं। ई-आफिस के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सभी आफिसों में ई-आफिस के माध्यम से ही काम होंगे।

श्री गिरीश गिशा ने कहा कि मैन होल किसाने रामय में ठीक होने चाहिए।

अपर नगर आसुक्त श्री अगिल कुमार गिशा ने बताया कि शीघ्र मैन होल ठीक होना चाहिए।

श्री गिरीश गिशा ने अवगत कराया कि मेरे गहां नाला राफाई के द्वीरान मेन होल का छवकन दूट गया था, मैंने कहा तो इस पर नगर अभियन्ता जोन-5 ने कहा कि एटीमेट बनेगा। शिकायत गुख्यमंत्री पोर्टल पर गयी। दो माह हो रहे हैं, आज तक मैन होल का छवकन ठीक नहीं हुआ।

नगर अभियन्ता जोन-5 ने बताया कि 66 मैन होल ठीक होने हैं। टेप्डर में लगा हुआ है।

श्री गिरीश गिशा ने कहा कि यह जावाब होता है इनका। पहले से पत्थर बनावाकर रखे जाते हैं, जहाँ शिकायत गिले, मैन होल का छवकन दूटा हो, तुरन्त पत्थर लगना चाहिए।

श्री राज कुमार रिंह ने कहा कि पहले जोनों में गैंगमैन तैनात रहते थे। क्रासिंग आदि दूट जाए तो तुरन्त बनानी चाहिए। अब गैंगमैन नहीं दिखते हैं। इसको गम्भीरता से लेते हुए ध्यान दिया जाए।

श्री गिरीश गिशा ने कहा कि गैंगमैन सक्रिय रखे जाएं। शिकायत मिलने पर छोटे-मोटे काम तुरन्त होने चाहिए।

श्री गिरीश गिशा ने कहा कि पूर्व सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के मद संख्या—(14) लखनऊ नगर निगम के वार्डों के नये परिसीमन की सीमाओं पर वार्ड का नाम, मातृ महापौर, पार्षद के नाम व सोवाईल नम्बर का बोर्ड लगाये जाने के सम्बन्ध में संकल्प संख्या—(37) द्वारा सर्वसम्मति से खोकृति प्रदान की गयी थी। क्या कार्यवाही हुई?

अवगत कराया गया कि बोर्ड लगाने का कार्य कराया जा रहा है।

उपाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के पेज नं0-13 पर देखें—मद संख्या—(18) उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 438(1) के प्राविधानानुसार लखनऊ नगर निगम में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इरक्तमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञाप्ति लाईसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में नगर निगम लखनऊ द्वारा प्रसारित आदेश सं0-386/पी0/पर्याइडिगी/न0आ0 दिनांक 03.02.2018 के क्रियान्वयन हेतु तैयार की गई नियमावली (गाइड लाइन) 2018 प्रस्ताव पर संकल्प संख्या—(42) द्वारा सर्वसम्मति से अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि इस प्रस्ताव को अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

उपाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व सम्पन्न बैठक वर्ग कार्यवाही के पेज नं०-17 पर देखें—  
नगर आयुक्त ने अवगत कराया था कि "15 जुलाई तक प्रचार विभाग के टेण्डर हो  
जाएंगे।" वर्ग टेण्डर हो गये ?

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री अशोक सिंह ने अवगत कराया कि टेण्डर  
आमंत्रित किए गये थे। कोई टेण्डर नहीं आए। इसमें कई मद और जोड़े गये हैं, अब  
टेण्डर आएंगे।

श्री गिरीश मिश्र ने कहा कि प्रचार विभाग नगर निगम आय का प्रमुख खोत है।  
इसमें विस्तीर्ण प्रकार वर्ग दिलाई नहीं होनी चाहिए।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री अशोक सिंह ने कहा कि जी०एस०टी० में जाने  
के कारण विलम्ब हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि दो साल के लिए टेण्डर कराया  
जाना चाहिए।

श्री राजेश सिंह ने कहा कि चार महीने विलम्ब हुआ, किसकी जिम्मेदारी है ?

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री अशोक सिंह ने कहा कि 15 प्रतिशत बढ़ाकर  
पैसा ले रहे हैं। पैसा जागा हो रहा है। कोई भी एडवरटाइजर लागत लगाता है, काम  
शुरू करता है, तब तक साल पूरा हो जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि दो साल के  
लिए टेण्डर होना चाहिए। अन्य नगर निगमों में भी अध्ययन किया गया है प्रासेस में  
एक-छेढ़ साल लग जाता है। प्रीमियम में 20-25 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है।

श्री गिरीश मिश्र ने कहा कि अन्य नगर निगमों में देख लिया जाए, दूसरे साल  
कितना प्रीमियम बढ़ जाता है। मैट्रो पिलर में साइन बोर्ड आदि लगाकर प्रचार किया  
जा रहा है। इनसे शुल्क लिया जाए। जब से प्रचार कर रहे हैं, तब से डिमाण्ड भेजी  
जाए।

अपर नगर आयुक्त श्री अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि इस सम्बन्ध में दो बार  
पत्र भेजे गये हैं।

श्री गिरीश मिश्र ने कहा कि सख्ती की जाए। विज्ञापन शुल्क लिया जाए,  
अन्यथा विज्ञापन हटवाए जाएं।

श्री राजेश सिंह ने कहा कि प्रचार की नियम और शर्तों की कापी मात्र पार्शदों को  
दी जाए।

श्री गिरीश मिश्र ने कहा कि जितने सेल्टर होम्स और पुलिस बूथों पर प्रचार हो  
जाए, विज्ञापन शुल्क लिया जाए।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी श्री अशोक सिंह ने कहा कि नियमावली में  
विज्ञापन शुल्क लिये जाने का प्राविधान है।

उपाध्यक्ष ने कहा कि पूरा विवरण तैयार कर लीजिए, इस सम्बन्ध में बैठक कर  
ली जाएगी।

श्री भौमीर ने कहा कि बरसात का गौसम है। पूर्व में भी नगर आयुक्त को अवगत कराया गया था 19 कर्मचारी रोवानिवृत्त हो गये हैं या उनका निधन हो गया है। कर्मचारी मुश्किल हो रहा है। मेरे घर का घोराव होता है। सफाई व्यवरथा कैसे ठीक होगी? जिनका निधन हो गया हैं या रोवानिवृत्त हो गये हैं, उनकी जगह पर जब तक नियमित नियुक्त न हो जाए तब तक कार्यदायी संरथा से कर्मचारी तैनात किए जाएं। कार्यदायी संरथा से कर्मचारी रखने की फाइल बनी थी, वह फाईल भी गायब हो गयी है।

नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि फाइल खोजवाकर कर्मचारी तैनात किये जाएंगे।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पूर्व बैठक में अन्य प्रस्ताव संख्या-(2) के तहत पेपर मिल वार्ड के अन्तर्गत आने वाले कैफी आजमी आडिटोरियम का संचालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर संकल्प संख्या-(64) द्वारा निर्णय लिया गया था कि "परीक्षण कर लिया जाए"। इस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या परीक्षण किया गया? परीक्षण किया जाए, क्या स्थिति है?

अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षण करने के लिए एक उप समिति गठित कर दी जाएगी, उप समिति अपनी रिपोर्ट देगी, तदनुसार कार्यवाही होगी।

श्री राजेश सिंह ने कहा कि आये-दिन आडिटोरियम में कार्यक्रम हो रहे हैं। जब तक उप समिति निर्णय न ले ले, तब तक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी जाए।

**संकल्प संख्या (67) :-** सर्वसम्मति से पूर्व सम्पन्न मात्रा कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2018 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि हमारे वार्ड में अथक प्रयासों से नगर निगम ने जमीन वापस ली है। मेरा प्रस्ताव है कि भूमिगत दो स्टोरी की पार्किंग बना दी जाए, जिससे कि हमारे वार्ड में जाम न लगे। लोग गाड़ियां गलियों में खड़ी कर देते हैं, इससे इमरजेन्सी में एम्बुलेंस भी नहीं निकल सकती है। पार्किंग बनवायी जाए और स्कूल भी बनवाया जाए।

अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि जांच करवाकर नीचे भूमिगत पार्किंग ऊपर विद्यालय बनवाया जाए।

**मद संख्या (2) :-** रोड कटिंग के सम्बन्ध में रिलायंस जियो/एयरटेल/ग्रीन गैस एवं अन्य कम्पनियों द्वारा की जा रही रोड कटिंग के सम्बन्ध में।

नगर आयुक्त ने कहा कि धरोहर राशि जब्त की जाए।

श्री राजेश सिंह ने कहा कि बरसात चल रही है, सबको रोक दिया जाए, कि खुदाई न करें।

नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि सबको रोका जाए, वरसात हो रही है, खुदाई न करें, अन्यथा रोड धंस जाएगी। लेसा वाले रोड कटिंग कर रहे हैं, उन्हें भी रोका जाए।

**संकल्प संख्या (68) :-** सर्वसम्मति से रोड कटिंग के सम्बन्ध में रिलायंस जियो/एयरटेल/भीन गैस एवं अन्य कम्पनियों द्वारा की जा रही रोड कटिंग के सम्बन्ध में विभागीय आख्या के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

**मद संख्या (3) :-** उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित कनेक्टिंग चेम्बर के लिए की जा रही रोड कटिंग के सम्बन्ध में।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि चेम्बर का बेस नहीं बनाया जा रहा है। चेम्बर बनाने में बैलार्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पुरानी टाइल्स लगा रहे हैं। क्वालिटी खराब है। 50 प्रतिशत सी ग्रेड का पाइल लगा रहे हैं। प्रेशर मेन्टेन नहीं होता है। मौरंग का इस्तेमान नहीं कर रहे हैं, डर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। कटिंग ठीक तरह नहीं बना रहे हैं। तीन-चार फिट की गली है, तो वह पूरी गली बननी चाहिए। कमेटी बनायी जाए है। तमाम जगह सीवर कनेक्ट नहीं किये गये। सीवर सफाई नहीं हो रही है। जल निगम कह रहा है कि जल संरक्षण सीवर सफाई करे। ये कनेक्टिंग चेम्बर तो बना रहे हैं, लेकिन इनके आदमी साफ नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेश सिंह ने कहा कि रोड बनाने का काम कार्यदायी संरक्षण नगर निगम करे। इससे काम ठीक होगा। यह प्रस्ताव शासन भेजा जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि जे०एन०एन०य०आर०एम० के अन्तर्गत जल निगम द्वारा किये गये कार्यों का उदाहरण है। जल निगम द्वारा जितनी लाइनें डाली गयी हैं, क्या काम कर रही हैं। नगर निगम से इनको कोई मतलब नहीं है। जहां चाहें खुदाई करके काम शुरू कर देते हैं। कोई सलाह नगर निगम के अभियन्ताओं से नहीं लेते हैं। मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। कोई मानीटरिंग नहीं होती है। मैं जल निगम से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी पार्षद, नगर निगम के जे०ई० या ए०ई० से सलाह लेते हैं। सीवर लाइन आदि जाम पड़ी हैं, कोई मापदण्ड नहीं है।

श्री एस०के० गौतम, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि पहली बार अमृत योजना के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है। गुणवत्ता के लिए पाईप आई०आई०टी, सीतापुर से टेस्टिंग करायी गयी है। नगर निगम के जे०ई०, ए०ई० से सम्पर्क किया जाता है।

श्री गिरीश मिश्रा व मो० सगीर ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई सम्पर्क नहीं कर रहे हैं।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि उ०प्र० जल निगम के अधिकारी नगर निगम अभियन्ताओं और क्षेत्रीय पार्षद से परामर्श अवश्य लें।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने पुनः कहा कि चेम्बर का बेस नहीं बना रहे हैं। चेम्बर धंसेगें और रोड धंसेगी।

नगर आयुक्त ने निर्देशित किया कि बारिस में काम बन्द कर दिया जाए। रेस्टोरेशन का काम ठीक नहीं हो रहा है। टाइल्स ऊपर ही रख देते हैं। सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। गलियां खराब हो रही हैं। प्रापर वे में रेस्टोरेशन कार्य हो। रेस्टोरेशन कार्य पार्षद और नगर निगम के जो ०५०, ए०५० को साथ में लेकर करें।

श्री गिरीश मिश्रा ने पूछा कि अमृत योजना के अन्तर्गत जो रोड काटी जा रही है, उसका रेस्टोरेशन कौन करेगा?

नगर आयुक्त ने बताया कि अमृत योजना के अन्तर्गत उ०प्र० जल निगम द्वारा जो रोड कटिंग की जा रही है उसके रेस्टोरेशन कराने का काम उ०प्र० जल निगम का ही है।

श्री मो० सगीर ने कहा कि इनके पास अनुभव नहीं है। रोड कटिंग ठीक ढंग से नहीं बनाते हैं।

**संकल्प संख्या (६९) :-** सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा निर्मित कनेक्टिंग चेम्बर के लिए की जा रही रोड कटिंग तथा रेस्टोरेशन कार्य की जाँच के सम्बन्ध में निम्नवत् उप समिति का गठन किया गया:-

- 1— क्षेत्रीय पार्षद
- 2— अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ (श्री एस०के० जैन)
- 3— क्षेत्रीय नगर अभियन्ता, नगर निगम, लखनऊ
- 4— अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ
- 5— क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता, जलकल विभाग

उवत्त समिति अपनी जाँच रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि बड़े नाले लम्बी स्लैब के कारण साफ नहीं हो पाते हैं। शिल्ट जमा हो जाती है। ४०—५० फुट तक स्लैब होती है। ९ इंच का पत्थर डाला जाता है, जिसमें एक व्यक्ति भी नहीं घुस पाता है। मेरा सुझाव है कि लम्बी स्लैबों को बीच से काट लें। टुकड़ा, बन्द करने के लिए ठीक नहीं बचता है तो दूसरा पत्थर बनाकर ढका जाए। इससे नाले साफ हो सकेंगे। हमारे वार्ड में दो साल से नाले पर अतिक्रमण है। मैंने कई बार कहा, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटवाया गया। नाला नहीं साफ कराया गया। जोनल अधिकारी और नगर अभियन्ता एक—दूसरे पर जिम्मेदारी टाल रहे हैं। दण्डात्मक कार्यवाही होनी चाहिए।

जोनल अधिकारी जोन-६ ने अवगत कराया कि संदर्भित अतिक्रमण अभियन्त्रण विभाग को हटवाना है।

मुख्य अभियन्ता ने कहा कि अपर नगर आयुक्त जी के निर्देशन में जोनल अधिकारी को ही अतिक्रमण हटवाना है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि यह समस्या हर जगह है। नालों की सफाई हेतु टेप्डर मई में हो जाने चाहिए, इस बार जून तक टेप्डर नहीं हुए। हम लोग बहुत प्रहले से कह रहे थे कि टेप्डर कराये जाएं, समय से नाले साफ कराए जाएं। मेयर साहब के दरवाजे से होकर जो नाला गुजरता है, उसकी सफाई नहीं हुई।

अध्यक्ष ने नगर अभियन्ता जोन-5 से पूछा कि कानपुर रोड नाले की सफाई हुई कि नहीं हुई ?

नगर अभियन्ता जोन-5 ने बताया कि कानपुर रोड नाले की सफाई नहीं हुई। अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि नगर अभियन्ता जोन-5 के विरुद्ध कार्यवाही जाए।

नगर आयुक्त ने कहा कि नालों की सफाई कराने का काम जोनल अधिकारियों का है। जोनल अधिकारी नगर अभियन्ताओं को साथ में बुलाकर नालों की सफाई का कार्य करायें। अगर नगर अभियन्ता सहयोग नहीं करते हैं तो नगर आयुक्त को बताएं। यह बीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। नाले साफ नहीं होंगे तो जल भराव होगा। जिम्मेदारी जोनल अधिकारियों की होगी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि एक मीटर से ऊपर चौड़े नालों की सफाई कराने का काम जोनल अधिकारियों का नहीं है, अभियन्त्रण विभाग का काम है। सीमांकन अभियन्त्रण विभाग करेगा।

श्री मुनेन्द्र सिंह राठौर, जोनल अधिकारी जोन-1 ने कहा कि यह कोई अभियन्त्रण विभाग का है, अभियन्त्रण विभाग करे। जोनल अधिकारी यदि साथ न दें, तब कहा जाए।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि जगह-जगह नालों पर अतिक्रमण है। नालों पर से अतिक्रमण तोड़ा जाए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि अभियन्त्रण विभाग द्वारा साफ कराये गये नालों की शिल्ट आज तक नहीं उठी।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि हैदर कैनाल नाला हमारे वार्ड से होकर जाता है, उसकी सफाई की जिम्मेदार किसकी है? नाला साफ नहीं हुआ है।

श्री मुनेन्द्र सिंह राठौर, जोनल अधिकारी जोन-1 ने अवगत कराया कि बैरत नं०-14 कल हमने खड़े होकर चलवाया, जबकि नगर अभियन्ता की जिम्मेदारी है, वह दिखाई तक नहीं दिए।

श्री एस०के० जैन, अधिशासी अभियन्ता ने अवगत कराया कि पूरी तरह से नाला बन्द था। हमने फारसी मशीन लेकर सफाई करायी, तब जल निकासी हुई।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि शहर में जल भराव हो रहा है। पार्बद गाली खारे हैं। आप लोग नाला नहीं साफ करा रहे हैं। कल रात हो रही बरसात में नगर आयुक्त और महापौर जी द्वारा रात भर मानीटरिंग की गयी है।

अध्यक्ष ने निर्देशित किया जो नाले साफ नहीं हुए हैं, सम्बन्धित का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि हमारे वार्ड में नाला साफ नहीं हुआ है, सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही हो।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि माझे अध्यक्ष ने निर्देश दे तो दिए हैं, कि जो नाले साफ नहीं हुए हैं, सम्बन्धित का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए।

उपाध्यक्ष ने कहा कि बैरल नं०-(2) के सम्बन्ध में ठेकेदार को व्लैक लिस्ट किया जाए।

अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि बारिश हो रही है। जोनल अधिकारी और नगर अभियन्ता अपने-अपने क्षेत्र में जाएं, जल निकासी की समस्याओं का निरस्तारण कराएं।

श्री मोझीर सर्गीर ने कहा कि मोहन मीकिन वाले बैरल को देख लिया जाए। घरों में पानी घुस रहा है।

— श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि गृहकर में ब्याज माफी लागू है, पेयजल पर भी ब्याज माफ किया जाए।

— महाप्रबन्धक, जलकल विभाग ने कहा कि पहली बार जो बिल भेजे गये हैं, कोई ब्याज/सरचार्ज नहीं लिया जा रहा है।

श्री राजेश मालवीय ने कहा कि हमारे वार्ड में एक नलकूप स्थापित होना था, क्या प्रगति है?

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग ने अवगत कराया कि शहर के विभिन्न वार्डों में चार नलकूप लगाने हैं, एक नलकूप में रु० 15.00 लाख लागत आती है। कार्यवाही हो रही है। चार नलकूप हैं, त्वरित राहत के लिए रु० 60.00 लाख जैसे ही स्वीकृत हो जाएगा, नलकूल स्थापित कराने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी।

अध्यक्ष ने भोजन के लिए बैठक आधा घण्टा स्थगित की।

अध्यक्ष ने पुनः बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि जोन-७ पटेल नगर स्थित सतवा तालाब नाला नहीं बना है, नाला बनना है, अब तक क्या कार्यवाही हुई? टेण्डर हुआ था, क्या स्थिति है? काम भी आवश्यक है, टेण्डर भी हो चुका है। उस क्षेत्र में बहुत जल भराव हो रहा है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि नाला बनना है, पम्प लगाना है। करीब रु० 6.00 करोड़ का काम है। फण्ड तय होना है। जब तय हुआ कि अण्डरग्राण्ड नाला नहीं बनाया जाएगा, तब टेण्डर कैंसिल हुआ।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि मानीटरिंग करके काम कराया जाए, ताकि व्यवधान उत्पन्न न हो।

मद संख्या (4) :- उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा संचालित की जा रही योजना एस०टी०पी० के लिए व्यवधान उत्पन्न न हो।

नगर आयुक्त ने मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी से पूछा कि एस०टी०पी० के लिए वार्डवार कटौती की क्या स्थिति है?

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी ने अवगत कराया कि शासन ने वर्ष 18-19 के लिए कटौती कर रखी है।

मद संख्या (5) :- इको ग्रीन के समक्ष अधिकारियों की उपस्थिति में सफाई सम्बन्धी समस्याओं के त्वरित निरतारण के सम्बन्ध में।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि इको ग्रीन के अधिकारी जो यहां उपस्थिति हैं, जहां-जहां कूड़ा उठान की व्यवस्था कर रहे हैं, ये पंकचुवललिटी, टाइमली रिस्पांसिविलिटी कब अपने ऊपर तय करेंगे। नगर निगम, लखनऊ से क्या चाहते हैं, उनकी नगर निगम, लखनऊ से क्या अपेक्षा है, बताएं?

श्री अभिषेक, इकोग्रीन कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया कि जोन-5 व 8 में हम कार्य कर रहे हैं। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि नगर निगम, लखनऊ से आप क्या चाहते हैं, क्योंकि हर घर से कूड़ा नहीं उठ रहा है।

श्री अभिषेक, इकोग्रीन कम्पनी ने कहा कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन, सेकेण्ड्री और प्रोसेस तीन चरणों में काम हो रहा है।

श्री राजेश सिंह ने कहा कि 15-20 दिनों से कूड़ा नहीं उठ रहा है, आपका कोई आदमी कूड़ा उठाने नहीं आ रहा है।

श्री अभिषेक, इकोग्रीन कम्पनी ने बताया कि डेवलपमेन्ट एलान बनाया गया था। मिनी ट्रिपर, डम्पर प्लेसर आदि की सूची है, जो नगर निगम से हमें ट्रांसफर होने थे, सूची के अनुसार पूरे द्रांसफर नहीं हुए। जे०सी०बी० आज तक नहीं चल पायी है। पूरे साधन नहीं मिल पाए, इसलिए कुछ दिक्कतें आ रही हैं।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि नगर निगम भी अपने साधनों से काम कर रहा है। सब कुछ इकोग्रीन कम्पनी को दे दिया जाए और ये कहीं काम बन्द कर दें, तो पूरी व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। शहर का कूड़ा उठान ही बन्द हो जाएगा। इसलिए कुछ सामान इनको उपलब्ध कराया गया है।

श्री अभिषेक, इकोग्रीन कम्पनी ने बताया कि हमने मैनपावर बढ़ाया तो पैसैन्ट नहीं मिल पाया।

श्री विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि इकोग्रीन कम्पनी लेबरों को टाइमली पैसा नहीं देती है। हमारी जानकारी में एक एजेन्सी है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर

कूड़ा उठाने का काम दिया जा सकता है। वह डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का रु० 33/- प्रति घर रो लेते हैं। इसमें घर-घर रो कूड़ा लेकर प्रोसेसिंग रथल तक पहुंचाने की प्रक्रिया सम्भिलित है। उन्होंने एजेन्सी के बारे में विरतृत जानकारी दी।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि ईकोग्रीन कम्पनी द्वारा क्षेत्रीय पार्शदों से कोई सम्पर्क नहीं किया जाता है।

श्री अभिषेक, ईकोग्रीन कम्पनी ने आश्वासन दिया कि हम अपनी सर्विस बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष ने कहा कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नहीं हो रहा है, व्यवरथा चरमरा गई है। व्यवरथा ठीक करने की आवश्यकता है।

नगर आयुक्त ने कहा कि जब तक 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नहीं होगा, तब तक व्यवरथा ठीक नहीं होगी। जहां डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य होता है वहां एक बार झाड़ु लगाने के बाद दिन भर चमकता रहता है। ईकोग्रीन कम्पनी ने व्यवरथा सुधारने के लिए तीन माह का समय मांगा था। एक माह हो गया है। ईकोग्रीन कम्पनी को डेढ़ करोड़ रुपया प्रतिमाह दिया जा रहा है। कहा गया था एक करोड़ यूजर चार्ज वसूल करके दें। पचास लाख हम मिलाएंगे। हम घाटे में जा रहे हैं, जबकि हमको प्राफिट मिलना चाहिए और इस प्राफिट से कूड़ाघरों को मेन्टेन करना है। कूड़ाघरों को मकेनाइज करेंगे।

उपाध्यक्ष ने ईकोग्रीन कम्पनी से पूछा कि आपके पास मैनपावर कितनी है, कितने वार्डों में ढंग से काम कर सकते हैं।

श्री अभिषेक, ईकोग्रीन कम्पनी ने बताया कि सवा करोड़ सैलरी पर व्यय हो रहा है। 1600 के करीब मैनपावर है। मैनपावर को और बढ़ाया जा रहा है।

श्री मो० सगीर ने कहा कि हमारे वहां 17 मोहल्ले हैं। यूजर चार्जेज सबसे वसूला जा रहा है। केवल दो आदमी लगे हुए हैं। तीन-चार माह से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन नहीं किया जा रहा है।

श्री राज कुमार सिंह ने कहा कि डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में लगे मैनेजर आदि मेन-मेन कर्मचारियों की सूची मोबाइल नं० सहित उपलब्ध करायी जाए।

श्री मो० सगीर ने कहा कि अपने कर्मचारियों को हम वेतन दे रहे हैं। ईकोग्रीन कम्पनी का बोझ ऊपर से झेल रहे हैं। यह कम्पनी हमारे यहां कोई कार्य नहीं कर रही है। मैं इस कम्पनी को एक पैसा वसूलने नहीं दूंगा।

श्री अभिषेक, ईकोग्रीन कम्पनी ने कहा कि मैंने जो समय लिया है उसमें सुधार कर लूंगा। एक महीना हुआ है, तीन माह का समय लिया है।

उपाध्यक्ष ने ईकोग्रीन कम्पनी से कहा कि मा० पार्शदों से सम्पर्क करते रहो, पार्शदों से सुझाव लेते हुए कार्य करो।

अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि हर घर से कड़ा उठाना चाहिए।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि ईकोग्रीन कम्पनी का वर्तमान में नगर निगम के पास कोई विकल्प नहीं है। विद प्रोसेसिंग इनके अतिरिक्त हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक हम विकल्प तैयार नहीं कर लेते हैं तब तक इनसे काम लेना है। इनके पास समरणा यह है कि 80 प्रतिशत सफाई कर्मचारी असम के हैं। असमी अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। उनको पैसा मिलता है तो काम करते हैं, नहीं तो काम बन्द कर देते हैं, घर भाग जाते हैं। ईकोग्रीन कम्पनी के पास कोई सबस्टीट्यूट काम बन्द कर देते हैं, तुरन्त कोई व्यवरथा नहीं है। अगर गाड़ी बिगड़ गयी तो सबस्टीट्यूट नहीं है कि वहां पर कूड़ा उठ जाए। मानीटरिंग नहीं है। क्षेत्रीय पार्षदों, संभान्त व्यक्तियों से इनका कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। सूचना मिली तो गाड़ी दौड़ा देते हैं, सूचना नहीं है। महीनों यह लोग मीटिंग नहीं करते हैं। पूरे शहर को एक मिली तो कूड़ा नहीं उठता है। महीनों यह लोग मीटिंग करते हैं, बैठकें करना आवश्यक है। हम लोगों की ईकोग्रीन कम्पनी के पास न तो साधन है और न ही पर्याप्त मैनपावर है। हम लोगों की कमी यह है कि इनको पड़ावघर नहीं दे पा रहे हैं। पूरे आलमबाग में केवल दो काम्पैक्टर लगे हैं।

अध्यक्ष ने कहा कि जगह मिल जाएगी, यह काम्पैक्टर नहीं ला पा रहे हैं। काम्पैक्टर लाएं, जगह उपलब्ध करायी जाएगी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि स्थान उपलब्ध कराया जाए, यह काम्पैक्टर लगवायेंगे।

अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि व्यवस्था सुधारने हेतु अगस्त और सितम्बर दो माह का समय ईकोग्रीन कम्पनी को दिया जाता है।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि कहीं तीन कर्मचारी लगे हैं तो कहीं 10 कर्मचारी लगे हैं। सब जगह बराबर कर्मचारी लगाकर कूड़ा उठवाएं।

नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक, जलकल विभाग को निर्देशित किया कि सीवर सफाई का कार्य ठीक से कराया जाए, शहर में तमाम जगह सीवर समस्याएं हैं।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि 5-5 कर्मचारी सीवर सफाई के लिए हमारे यहां काम करते हैं, जहां नहीं हैं, वहां तैनात किए जाएं।

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग ने कहा कि जहां-जहां सीवर समस्या है आप बताएं, हम सफाई करायेंगे।

श्री राज कुमार सिंह ने कहा कि हमारे क्षेत्र में केवल चार सीवर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। कर्मचारी बढ़ाएं जाएं।

**सद संख्या (7):-** हाऊस टैक्स/जलकर पर पूर्व की भाँति 10 प्रतिशत दी जाने वाली छूट के समय सीमा दिनांक 31.08.2018 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

**संकल्प संख्या (70) :-** सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पूर्व में भी माओ कार्यकारिणी समिति/सदन में पास किया जा चुका है कि नगर निगम, लखनऊ में नगर निगम निधि से जो भी कार्य कराए जाएं उनके शिलापट में क्षेत्रीय पार्षद और महापौर का ही नाम लिखा जाए। विधायक, सांसद या मंत्री वर्ग नाम न लिखा जाए। जो कार्य अवरथापना निधि, विधायक, सांसद निधि से कराये जाएं उनके शिलापट में मंत्री, विधायक, सांसद और महापौर का नाम लिखा जाए।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि एक—दो साल पूर्व राम पाल अधिकारी के नाम से नामकरण का प्रस्ताव पारित हुआ था, उनका सही नाम राम लाल अग्निहोत्री था। संशोधन कर लिया जाए।

श्री सुशील कुमार तिवारी ने कहा कि रथानीय जनता की मांग है कि अलितरंग के सामने कल्याण मण्डप व पार्क अवरथापना निधि से बनवाया जाए।

**संकल्प संख्या (71) :—** सर्वसमिति से भूमि के सम्बन्ध में परीक्षण कराकर धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जाय।


**अन्य प्रस्ताव :—** अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव के तहत नामकरण के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रस्ताव माओ कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गये :—

- 1— एल0डी0ए0कालोनी कानपुर रोड स्थित सेक्टर एफ के एल0आई0जी0 पार्क का नामकरण “स्व0 प्रेम सिंह विष्ट पार्क” करने के सम्बन्ध में श्री विमल तिवारी, माओ पार्षद, विद्यावती प्रथम वार्ड /सदस्य, माओ कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।
- 2— अवध चौराहे से एयरपोर्ट चौराहे तक मुख्य मार्ग का नामकरण “स्व0 हेमवर्त नन्दन बहुगुणा मार्ग” करने के सम्बन्ध में श्री रजनीश कुमार गुप्ता व अन्य पार्षद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।
- 3— नजरबाग के मोहल्ला फूलबाग में नाजनीन पैलेस होटल से श्री कामरान बे पार्षद के आवास के सामने की गली होते हुए रिजवान के मकान तक की गली नामकरण “स्व0 शाहिद मिर्जा गली” करने के सम्बन्ध में श्री कामरान बे, पार्षद नजरबाग वार्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।
- 4— मोहल्ला नजरबाग में स्व0 चन्द्र शेखर द्विवेदी (आई.ए.एस.) के निवास के सामने की लेन का नामकरण “स्व0 चन्द्रशेखर द्विवेदी (आई.ए.एस.) लेन” करने सम्बन्ध में श्री कामरान बे, पार्षद, नजरबाग वार्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।
- 5— मोहल्ला नजरबाग में स्थित किसी एक पार्क का नामकरण “स्व0 अद्वुर्हमान खेखन्दारी पार्क” करने के सम्बन्ध में श्री कामरान बे, पार्षद, नजरबाग वार्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।
- 6— आलमबाग चौराहे से अवध चौराहे तक मार्ग का नामकरण “अमर शहीद सन्त कँवरराम मार्ग” तथा आलमबाग चौराहे का नामकरण “अमर शहीद संत कँवरराम

चौराहा" करने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार मालवीय, पार्षद/सदस्य, मा० कार्यकारिणी समिति एवं श्री राम कृष्ण यादव, उप नेता, भाजपा पार्षद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।

- 7- पं० दीनदयाल उपाध्याय समृतिका (जे०एन०पी०जी० कालेज) चारबाग से बंगलाबाजार चौराहे तक के मार्ग का नामकरण "पं० दीनदयाल उपाध्याय मार्ग" करने के सम्बन्ध में श्री रजनीश कुमार गुप्ता, पार्षद एवं श्री राजेश कुमार मालवीय, सदस्य, मा० कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।
- 8- इन्दिरा नगर वार्ड स्थित भवन संख्या-बी/2670 के सामने पार्क का नामकरण "भागीरथी पार्क" करने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र कुमार (वीरु), पार्षद, इन्दिरा नगर वार्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।
- 9- इन्दिरा नगर वार्ड स्थित भवन संख्या-डी/3059 के सामने वाले पार्क का नामकरण "भगवान श्री परशुराम जी पार्क" करने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र कुमार (वीरु), पार्षद, इन्दिरा नगर वार्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।
- 10- विद्यावती वार्ड द्वितीय में स्थित शिव आश्रम वाले पार्क का नामकरण "वैतान्य महाप्रभु पार्क" करने के सम्बन्ध में विमल तिवारी, मा० पार्षद, विद्यावती प्रथम वार्ड/सदस्य, मा० कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।
- 11- मैथिली शरण गुप्त वार्ड में ऐन बसेरा का नामकरण "अटल ऐन बसेरा" करने के श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, मा० पार्षद, मैथिलीशरण गुप्त वार्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।
- 12- आम्रपाली बाजार के निकट गोल चौराहे का नामकरण "अहिंसा चौक" करने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, मा० पार्षद, मैथिलीशरण गुप्त वार्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।
- 13- भूतनाथ, सेंट डॉमनिक स्कूल गेट के पीछे तक सड़क का नामस्वरण खतंत्रता संग्राम सेनानी "श्री पति राय मार्ग" करने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव, मा० पार्षद, मैथिलीशरण गुप्त वार्ड द्वारा प्रेषित प्रस्ताव।

 संकल्प संख्या (72) :— सर्वसम्मति से उपरोक्त नामकरण के प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

 श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि नामकरण के प्रस्ताव पर क्षेत्रीय पार्षद की संस्तुति आवश्यक है।

अध्यक्ष ने कहा कि पहले से नामकरण है तो निरस्त माना जाएगा।

नगर आयुक्त ने कहा कि मा० महपौर जी के लिए एक वाहन क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। मा० कार्यकारिणी समिति के सदस्य यदि सहमत हो तो एक वाहन क्रय कर लिया जाए।

मा० सदस्य ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि एक बड़िया गाड़ी क्रय करना चाहिए।

**संकल्प संख्या (73) :-** सर्वसम्मति से लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त धनराशि/नगर निगम निधि से मा० महापौर जी के प्रयोगार्थ एक चार पहिया वाहन क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया।


श्री गिरीश मिश्रा ने कहा कि पार्षदगण जनता की समरथ्याओं के निस्तारण हेतु वार्ड विकास हेतु दौड़ते हैं, वैठकों में आते हैं, फोन पर पैसा खर्च करते हैं। पार्षदों के लिए भी कुछ निर्णय होना चाहिए। कोई न कोई व्यवरथा की जाए।

मा० अध्यक्ष ने कहा कि मा० पार्षदों को भत्ता दिये जाने की मांग सरकार से की गयी है। इस सम्बन्ध में प्रभावी पैरवी की जाएगी।

अध्यक्ष ने कहा कि आगामी मा० सदन की बैठक की तिथि 11.08.2018 तय की जाती है।

तत्पश्चात् मा० अध्यक्ष ने घोषणा की कि आज की बैठक समाप्त की जाती है।

  
(संयुक्त भाटिया)  
अध्यक्ष/महापौर

मा० कार्यकारिणी समिति।  
  
(संयुक्त भाटिया)  
महापौर  
नगर निगम, लखनऊ

  
20-8-18  
(संयुक्त भाटिया)  
नगर निगम, लखनऊ